भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 271

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सहायता

271. श्री राजू बिष्ट :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदलती जलवायु, जिसके परिणामस्वरूप संतरे, इलायची और अदरक जैसी पारंपरिक फसलों में गिरावट आई है का सामना करने के लिये दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों के किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उत्तर बंगाल में किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए समर्थन, क्षमता संवर्धन, आधुनिक कृषि पद्धतियों और तकनीकों संबंधी प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों में शीतागार और कृषि विपणन ढांचे के विकास के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) : विभाग जलवायु अनुकूल कृषि अभ्यासों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है जिससे संधारणीय रूप में अनुकूल कृषि उत्पादन करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार की एक पहल समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) नामक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में है जिसे फलों, सब्जियों, कंदमूल फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, संगधित पादपों, नारियल, काजू और कोको जैसी बागवानी फसलों के समग्र विकास हेतु पश्चिम बंगाल सहित संपूर्ण देश में कार्यान्वित किया गया है।

इस मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए फलों और सब्जियों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है। फलों और सब्जियों के विकासार्थ रोपण सामग्री, सब्जी बीज उत्पादन, समुन्नत कृषि जोपजाति (कल्टीवर्स) क्षेत्र कवरेज, जीर्ण उद्यानों के पुनरूद्धार, संरक्षित कृषि, जल संसाधनों के सृजन, समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) के अंगीकरण, समेकित पोषक प्रबंधन (आईएनएम), और जैविक आदानों के अंतरस्थाने निर्माण सहित जैविक खेती जैसे कार्यकलापों को शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) से संबंधित प्रतिबूंद अधिक फसल घटक के तहत मुख्यत: पश्चिम बंगाल सहित देश में प्रीसीजन/सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिंप और स्प्रिंकलर सिंचाई) के जरिए खेत स्तर पर जल उपयोग कौशल को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने परिवर्तित होती जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए सतत घरेलू खाद्य उत्पादन की चुनौतियों से निपटने के प्रयोजनार्थ 2011 में ''राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआर)'' नामक फ्लैगशिप नेटवर्क परियोजना शुरू की है।

समुन्नत प्रौद्योगिकीयों को अपनाने के लिए किसानों और तकनीशियनों के क्षमता निर्माण की भी व्यवस्था की गई है। इस स्कीम के तहत किसानों के उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) और विपणन व्यवस्था को भी कायम करने की परिकल्पना की गई है। एमआईडीएच से संबंधित संरक्षित कृषि घटक के तहत पौली हाउसों को स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है जिनसे पादप प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया के द्वारा बेहतर गुणवत्ता के साथ ईष्टतम उपज प्राप्त करने हेतु पर्याप्त प्रकाश, तापमान,आर्द्रता और कॉर्बनडाइआक्साइड भी प्राप्त होता है।

एनआईसीआरए से संबंधित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन घटक (टीडीसी) को पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में स्थित दो जिलों नामत: कूच बिहार और मालदा में शुरू किया गया है। एनआईसीआर से संबंधित टीडीसी के एक भाग के रूप में आधुनिक कृषि अभ्यासों और तकनीकों से संबंधित क्षमता निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। कूच बिहार जिले में 3880 किसानों को साथ लेकर लगभग 157 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जबकि मालदा जिले में 43 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिनमें 969 किसानों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई।

(ग) : वर्ष 2019-20 के दौरान क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, शीतागारों और विपणन अवसंरचनाओं से संबंधित कार्यकलापों सहित बागवानी विकास से संबंधित कार्यकलापों को निष्पादित करने के लिए एमआईडीएच की एनएचएम स्कीम के तहत पश्चिम बंगाल के राज्य बागवानी मिशन को 4400.00 लाख रूपए (भारत सरकार का हिस्सा) आबंटित किए गए हैं।

*****